

MANUAL – 15

SEC 4. (1) (b) (xv) THE PARTICULARS OF FACILITIES AVAILABLE TO CITIZENS FOR OBTAINING INFORMATION, INCLUDING THE WORKING HOURS OF A LIBRARY OR READING ROOM, IF MAINTAINED FOR PUBLIC USE

At present the library is meant for reference purpose for the officials of this organization. It do have technical books, administrative books, periodicals, and other reference books and manuals for internal use.

The organization has already launched its web site, <http://www.txcindia.gov.in>, where all basic information is available. The public has free access to this information including downloading of required information.

The public can call on senior officers of this organization as well as O.I.C.s of R.O.s and P.S.C.s during office hours for any information / guidance. They are also free to meet Joint Textile Commissioner, Addl. Textile Commissioners and Textile Commissioners on prior appointment, if their problems are not resolved at senior officer level.

Press Note is issued from time to time for public awareness and guidance on various matters and wide coverage is given to such press information.

Public grievances officers are appointed at Hqrs and Ros., who are approachable during specified timings or by letter or telephone etc.

धारा 4. (1) (बी) (xy) नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए पुस्तकालय या वाचनालय के कार्य समय भी शामिल हैं।

वर्तमान में पुस्तकालय इस संगठन के अधिकारियों के लिए संदर्भ उद्देश्य के लिए है। इसमें तकनीकी पुस्तकें, प्रशासनिक पुस्तकें, पत्रिकाएँ और आंतरिक उपयोग के लिए अन्य संदर्भ पुस्तकें और मैनुअल हैं।

संगठन ने पहले ही अपनी वेबसाइट <http://www.txcindia.gov.in> लॉन्च कर दी है, जहाँ सभी बुनियादी जानकारी उपलब्ध है। जनता को आवश्यक जानकारी डाउनलोड करने सहित इस जानकारी तक निःशुल्क पहुँच है।

जनता किसी भी जानकारी/मार्गदर्शन के लिए कार्यालय समय के दौरान इस संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ आर.ओ. और पी.एस.सी. के ओ.आई.सी. से संपर्क कर सकती है। यदि वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो वे पहले मुलाकात का समय लेकर पर संयुक्त वस्त्र आयुक्त, अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त और वस्त्र आयुक्त से मिलने के लिए भी स्वतंत्र हैं।

विभिन्न मामलों पर जन जागरूकता और मार्गदर्शन के लिए समय-समय पर प्रेस नोट जारी किए जाते हैं और ऐसी प्रेस सूचनाओं को व्यापक कवरेज दी जाती है।

मुख्यालय और कार्यालयों में लोक शिकायत अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जिनसे निर्दिष्ट समय के दौरान या पत्र या टेलीफोन आदि के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।